मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–160/2012/32 भोपाल दिनांक 19/12/2016
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला–जबलपुर

2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
जबलपुर ।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जबलपुर

4. आयुक्त
नगर निगम जबलपुर ।

विषय :–जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने जबलपुर विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–160/2012/32 भोपाल दिनांक 19/12/2016
प्रतिलिपि :–

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

1772
22/12/16
Add. Dr (NIC)

23.12.16

ADM(A)

कृ. आज ही website पर प्रकाशन करें।

55
TC

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 19-12-/2016

क्रमांक–एफ–3–160/2012/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम तिलवाराघाट	37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 40/2,	1.618 हेक्टेयर	नगर उद्यान तथा मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शिक्षा) तथा मार्ग
		योग–	1.618 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास

विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
7/12/2016 नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 19/12/2016

No.F-3-160/2012/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Jabalpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (In Hec.)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Tilwaraghat	37, 38/1, 38/2, 38/3, 39/1, 39/4, 39/5, 39/6, 40/2	1.618 Hectare	City Park and Road	Public and Semi Public (education) and Road
		Total	1.618 Hectare		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Jabalpur as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Housing Department